

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231476
SG-DL-E-30112021-231476

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2021/अग्रहायण 8, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 284
No. 360]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2021/AGRAHAYANA 8, 1943	[N. C. T. D. No. 284

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 29 नवम्बर, 2021

सं. 65/2020-राज्य कर

फा. सं. 03(137)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डी एस-I/349.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I), अधिसूचना संख्या 35/2020-राज्य कर, तारीख 24 मार्च, 2021 जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में संख्यांक सं0फा0 03(84)/वित्त (व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/288, तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से नवंबर, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम की धारा 171 के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा नवंबर, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी।”।

2. यह अधिसूचना 01 सितंबर, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप चिव- I (वित्त)

टिप्पण- मूल अधिसूचना दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV सं. 35/2020-राज्य कर, तारीख 24 मार्च, 2021 में संख्यांक सं0फा0 03(84)/वित्त (व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/288, तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV सं. 55/2020-राज्य कर, दिनांक 26 नवम्बर, 2021 में, संख्यांक सं0फा0 03(136)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस- I/333, तारीख 26 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

**FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 29th November, 2021

No. 65/2020- State Tax

No. F. 3(137)/Fin.(Exp-I)/2021-22/ DS-I/349.—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Exp-IV), No. 35/2020- State Tax, dated the 24th March, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3 (84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/288, dated the 24th March, 2021, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority, has been specified in, or prescribed or notified under section 171 of the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of November, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of November, 2020.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of September, 2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR Dy. Secy.-I (Finance)

Note: The principal notification, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, No. 35/2020- State Tax, dated the 24th March, 2021 vide No. F.3(84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/288, dated the 24th March, 2021 and was last amended by notification No. 55/2020 – State Tax, dated the 26th November 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV vide No. F.3 (136)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/333, dated the 26th November 2021.